न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जी.सी.एम.एस. नम्बर – 2019/00330
प्रार्थना पत्र संख्या :– 90/2019

1. श्योनारायण पुत्र रामू जाति अहीर
2. मांगी देवी पत्नी श्योनारायण जाति अहीर
3. रामेश्वर पुत्र नाथूराम यादव
4. बाबूलाल पुत्र नाथूराम यादव
5. माला पुत्र बीजाराम बुनकर जाति बलाई
6. सांवरमल पुत्र घीसाराम यादव
7. कन्हैयालाल पुत्र घीसाराम यादव
8. बाबूलाल पुत्र घीसाराम यादव
9. रामलाल पुत्र घीसाराम यादव
10. बंशीधर पुत्र गोपीराम यादव
11. सेवा पुत्र छोटूराम यादव
12. सुरजमल पुत्र श्योबक्स यादव
13. गणेश पुत्र श्योबक्स यादव
14. लादूराम पुत्र नाथूराम यादव
15. जगदीश पुत्र नाथूराम यादव
16. रामचन्द्र पुत्र नाथूराम यादव

समस्त निवासी ग्राम टाडावास तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – –प्रार्थीगण

बनाम

1. मानसिंह पुत्र बहादुर सिंह शेखावत
2. दौलत सिंह पुत्र बहादुर सिंह शेखावत
3. विजय सिंह पुत्र बहादुर सिंह शेखावत
4. उच्छल कंवर पुत्री बहादुर सिंह
5. गुल्लाराम पुत्र भूराराम यादव
6. जयनारायण पुत्र भूराराम यादव
7. लालाराम पुत्र भूराराम यादव
8. श्रवण पुत्र भूराराम यादव
9. शंकर पुत्र भूराराम यादव
10. नान्छी देवी पत्नी भागीरथ जाति अहीर
11. बंशीधर पुत्र किशनाराम
12. छीतरमल पुत्र किशनाराम
13. रामजीलाल पुत्र किशनाराम
14. भैरूराम पुत्र गोपीराम
15. हरिनारायण पुत्र गोपीराम

समस्त निवासी ग्राम टाडावास तहसील आमेर जिला जयपुर।

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

— — —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

निर्णय दिनांक :—31.08.2022

संक्षेप में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) तहत इस प्रकार का पेश किया है कि तहसीलदार आमेर (जयपुर) के पत्र क्रमांक आर.ए./2013/1124 दिनांक 24.12.2013 की रिपोर्ट के पैरा सं0 2 के अनुसार मौका अनुसार नक्शे के रिकार्डेड रास्ता जो घिनोई जाता है, से एक कदीमी रास्ता ख0नं0 348, 345, 342/1196, 338 के उत्तरी सीमा के सहारे होता हुआ ख0नं0 336, 335 में से होकर ख0नं0 334, 304 तक जा रहा है। इसी क्रम में एक प्रार्थना पत्र सं0 81/2015 माला नान्छी देवी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें ग्राम टाडावास तहसील आमेर के ख0नं0 302 रकबा 0.02 हैक्टे0, ख0नं0 303 रकबा 2.04 हैक्टे0 कुल किता 2 रकबा 2.06 हैक्टे0 जो माला पुत्र बींजा बलाई के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उसके लिए रास्ते की मांग अप्रार्थी नान्छी देवी पत्नी भागीरथ लाल यादव निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील चौमू से की हुई है एवं नान्छी देवी के खेतो तक सदैव से रास्ता उपयोग उपभोग में आ रहा है हालांकि वह रिकॉर्डेड नहीं है। इसी प्रकरण में प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी के अधिनियिम 2011 के तहत प्रस्तुत किया हुआ है। लेकिन प्रार्थीगण ने आर.टी.एक्ट की धारा 251ए के अन्तर्गत विधिवत प्रा0पत्र प्रस्तुत नहीं किया है एवं उपरोक्त प्रावधान जो वर्ष 2010/2011 के अन्तर्गत विज्ञप्ति के अन्तर्गत आर.टी.एक्ट की धारा 251 के तहत जोडते हुये प्रावधिक किया है के अन्तर्गत यह प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी डी.एल.सी. रेट के नियमों के अन्तर्गत प्रार्थीगण उपरोक्त डी.एल.सी. रेट अदा करने के लिये तत्पर है एवं प्रा. पत्र सं0 81/2015 माला बनाम नान्छी देवी के प्रकरण में भी खातेदार ख0नं0 302, 303 रकबा 2.06 हैक्टे0 वाके ग्राम टाडावास में प्रार्थी माला पुत्र बीजा बलाई आराजी ख0नं0 333 रकबा 0.86 हैक्टे0 की डी.एल.सी. रेट अदा करने के लिये सहमत है। इस मामले में एक निगरानी सं0 8245/2015/टी.ए./जिला जयपुर नन्छी देवी यादव बनाम माल्या उर्फ मालीराम दिनांक 02.01.2019 को निर्णित हो चुकी है। जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने निम्न तजबीज दी है:—

"रेस्पोडेन्ट ने अपने आवेदन पत्र में खसरा नम्बरान् 302 व 303 में अवस्थित अपनी भूमियों में आवागमन हेतु निगरानीकर्त्ता की भूमि ख0नं0 335 में से नए रास्ता की मांग की थी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्त्ता व रेस्पोडेन्ट की भूमियों के मध्य अन्य खातेदारान् की भूमियों खसरा नम्बर 348, 345, 342/1196, 338, 336 व 334, 304 अवस्थित है इन भूमियों के खातेदारान को जिनकी संख्या करीबन 35 से 40 के बीच है रेस्पोडेन्ट ने अपने आवेदन पत्र में पक्षकार नहीं बनाया था। विचारण न्यायालय ने इन्हें पक्षकार बनाने संबंध निगरानीकर्त्ता का आवेदन यह कहते हुये खारिज किया है कि –

प्रार्थी ख0नं0 335 में से रास्ता चाहता है। दूसरे खसरा नम्बरान से रास्ता चाहता ही नहीं जबकि मुताबिक नक्शा ट्रेस पटवारी हल्का जयसिंहपुरा अनुसार खसरा नम्बर 336 व 336/1174 के बीच ड्राटेट लाईन से रास्ता बना हुआ है जो वर्तमान खसरा नम्बर 335 में मिलता है। इसलिए अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र पक्षकार बनाये जाने का खारिज किया जाता है।"

पूर्व में प्रार्थीगण ने एक प्रा0पत्र माननीय न्यायालय में सं0 59/2018 उनवानी रामलाल बनाम सरकार व अन्य प्रस्तुत किया था। उसमें विपक्षीयों द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत नहीं किये जाने की आपत्ति उठाई थी। जिसे माननीय न्यायालय ने उचित ठहराते हुये आर.टी.ए. की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। उक्त निर्देश के अनुसार यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थीगण आराजी ख0नं0 348, 338, 336, 336/1174, 335 जिसका क्रम निम्न प्रकार है ख0नं0 348, 345, 342/1196, 338, 336 वहां से 302 एवं 303, 336 से 335, 334 इस तरह प्रार्थीगण को उपरोक्त रास्ते को रिकॉर्ड में अंकित करने से प्रार्थीगण काश्तकारों को राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अपनी उपज की सार संभाल करने में एवं खेतों में पैदा हुई फसल को नजदीकी मण्डीयों में लाने में सुविधा होगी एवं काश्तकारों का आर्थिक एवं मानसिक विकास हो सकेगा। अन्यथा रास्ते की जो समस्या से मानसिक एवं आर्थिक विकास दोनों अवरूद्ध रहेगा। लिहाजा यह प्रार्थना पत्र नियमानुसार प्रस्तुत कर गुजारिश है कि रास्ते के जो नवीन प्रावधान राज्य सरकार ने काश्तकारों के हित में प्रचलित किये है उनका लाभ दिलाया जावें। मांगे जाने वाले रास्ते की आवश्यकता एपसेल्यूट है एवं कोई वैकल्पिक रास्ता कम दूरी का मौके पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए भी रास्ता नियमानुसार डी.एल.सी. रेट वसूल करके दिया जाना न्यायोचित है।

मौके पर प्रार्थीगण कदीमी से इस रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण के खेतो पर कृषि कार्यो एवं उपयोग हेतु आम रास्ते की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थीगण को अन्य कोई रास्ता अपने खेतों पर आने जाने का नहीं है। राज्य सरकार के परिपत्र सं0 NO F3 (2) REV. 6/03/PT/7 DATE 02-03-2012 द्वारा रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर नजदीकी रास्ते से अडवा अन्य खातेदारान की भूमि से रास्ता दिलवाये जाने का प्रावधान किया। चूंकि प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि के उपयोग, उपभोग एवं आवास हेतु तथा अपने रोज मर्रा के जीवनयावन के लिये उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता राज्य सरकार के परिपत्र एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के अन्तर्गत दिया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व मानचित्र में अंकन किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें कि वह प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ते में कोई बाधा कारित नहीं करें। अन्य हितकर सहायजा जो श्रीमान् उचित समझे अता फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गयी। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 15 की ओर से एडवोकेट बनवारी लाल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जवाब प्रा0पत्र के अनुसार उक्त प्रा0पत्र गलत एवं वेग तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, हाल ख0नं0 348, 345, 342, 342/1196, 338, 336, 335 में से रास्ता चाहने बाबत प्रस्तुत किया है, गलत है, जबकि सही एवं वास्तविक तथ्य यह कि उक्त खसरा नम्बरान में किसी भी प्रकार से कोई रास्ता मौके पर नहीं है। जबकि सही एवं वास्तविक तथ्य यह है कि खातेदार काश्तकार अपना कृषि कार्य कर जीवनयावन करते चले आ रहे है। ख0नं0 304, 334 के खातेदार जो प्रार्थिगण है उनके पास आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो टाडावास से दुर्गा का बास तक जाने वाली मुख्य रोड से अडवा ख0नं0 317 जो रामलाल पुत्र छीतरमल महोदव, जोधाराम पुत्र झूंथाराम, ओमप्रकाश, पुत्र भंवरलाल, बाबूलाल पुत्र भूराराम जाति बलाई निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर राजू पुत्री छीतर कौम बलाई के पास के नजदीक पडता है, अप्रार्थीगण वर्तमान भी उक्त रास्ते से आते जाते है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने के लिये करीबन 30 मीटर लम्बाई में ही पडता है। जबकि अप्रार्थीगण के खेतों से चाहे गये रास्ते की लम्बाई करीबन 700 मीटर है, जो किसी भी रूप में प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। क्योंबि राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत नजदीकी रास्ता

प्रदत्त करने का प्रावधान है। जबकि ख0नं0 317 में से प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त कर सकते है। लेकिन जानबूझकर ख0नं0 317 से रास्ता से प्राप्त नहीं कर अप्राथ्र्ीगण के खेतों के टुकडे करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो काबिज खारिज योग्य है।

अप्रार्थीगण संख्या 16 की ओर से तहसीलदार आमेर के पत्रांक भू.अ./2022/36 दिनांक 11.01.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार प्रकरण में मौका अनुसार नक्शे के रिकार्डेड रास्ता जो घिनोई जाता है से एक कदीमी रास्ता ख0नं0 348, 345, 342/1196, 338 के उत्तरी सीमा के सहारे होता हुआ खसरा नम्बर 336, 335 में से होकर ख0नं0 334, 304 तक जा रहा है, जिसका मौका निरीक्षण मय राजस्व रिकार्ड के किया गया जो प्रार्थना पत्र में अंकित कथन के अनुसार सही पाया गया तथा वर्तमान में मौके पर रास्ता उक्त आराजीयात में से चालू है। पडोसी खातेदारान द्वारा भी ख0नं0 302, 303 रकबा 2.06 हैक्टे0 वाके ग्राम टाडावास में रास्ते हेतु आराजी ख0नं0 335 रकबा 0.86 हैक्टे0 में से रास्ता चाहने हेतु श्रीमान माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जयपुर के प्रा0 पत्र सं0 81/2015 माला बनाम नान्छी देवी प्रस्तुत किया गया था तथा वर्तमान में भी प्रकरण सं0 90/2019 में भी पक्षकार है। प्रार्थीगण को चाहे जाने वाले रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया जाता है तो आपसी विवाद का निपटारा हो जाता है तथा साथ ही फसल को नजदीकी मण्डीयों में लाने में सुविधा होगी एवं काश्तकारों का आर्थिक एवं मानसिक विकास हो सकेगा। रास्ते की आवश्यकता एपसेल्यूट है एवं कोई वैकल्पिक रास्ता कम दूरी का मौके पर उपलब्ध नहीं है। मौके पर प्रार्थीगण कदीमी से इस रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है।

प्रकरण का मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा आराजी ख0नं0 348, 345, 342, 338, 336 व 335 में से आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है जिसमें वर्तमान में ख0नं0 348, 345, 342 तथा 338 की उत्तरी सीमा पर मौके पर रास्ता चालू है जिसमें ख0नं0 338 में मध्य ख0नं0 340 व 339 के बीच की मध्य सीमा तक रास्ता चालू है। तथा पूर्व में ख0नं0 336 व 335 के मध्य से रास्ता चालू था जो ख0नं0 334 में बने मकानात में पहुंच मार्ग था जो वर्तमान में खातेदारान द्वारा बंद कर दिया गया है। श्रीमान् जी चाहा जा रहा रास्ता भिन्न–भिन्न खातेदारान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है जिसमें ख0नं0 348 रकबा 3.85 हैक्टे की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड सम्वत् 2073 से 2076 की जमाबंदी अनुसार उच्चकंवर पत्नी बहादुर सिंह, बहादुर सिंह पुत्र आनन्द सिंह, दौलतसिंह, मानसिंह, विजयसिंह पुत्रान बहादूर सिंह के नाम दर्ज है। इस आराजी में से 4 मीटर चौडा रास्ता देने पर रास्ते की भूमि 528 मीटर आती है। तथा

आराजी ख0नं0 345 रकबा 0.63 व ख0नं0 342 रकबा 0.63 कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हैक्टे0 की खातेदारी बाबूलाल, मंगलचन्द, मोहनलाल, रामजीलाल, रामनारायण, रामेश्वर पिता नाथूराम जाति अहीर के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है जिसमें रास्ते हेतु 4 मीटर चौडा रास्ते देने पर ख0नं0 345 में 160 मीटर व 342 में 160 मीटर भूमि रास्ते में जाती है। तथा ख0नं0 338 की खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड गुल्लाराम, जयनारायण, लालाराम, शंकरलाल, श्रवणलाल पिता भूरा जाति अहीर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें रास्ते हेतु 4 मीटर चौडा भूमि देने पर 536 मीटर भूमि रास्ते में जाती है तथा ख0नं0 336 रकबा 0.86 हैक्टे0 की खातेदारी छीतरमल, बंशीलाल, रामजीलाल पिता किशना जाति खाती हरिनारायण भैरूराम पिता गोपीराम जाति अहीर के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है उक्त आराजी में से 4 मीटर चौडा रास्ता देने पर 592 मीटर भूमि रास्ते में जाती है तथा आराजी ख0नं0 335 रकबा 0.86 हैक्टे0 की खातेदारी नान्छी पत्नी भागीरथ लाल कौम अहीर के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है जिसमें रास्ते हेतु 4 मीटर चौडी भूमि देने पर 304 मीटर भूमि रास्ते में जाती है। उक्त रास्ते का नजरी नक्शा संलग्न है।

प्रार्थीगण ने दिनांक 26.01.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने का पेश किया। जिसका जवाब अप्रार्थीगण ने दिनांक 23.02. 2022 को पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। न्यायिक दृष्टान्त का सहसम्मान अवलोकन किया गया। तहसीलदार आमेर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक या निकटतम रास्ता पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, रिपोर्ट एवं बहस के मननोपरांत प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण सं0 01 लगायत 15 की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 348 रकबा 3.85 है0 में से रकबा 528 वर्ग मीटर, ख0नं0 345 रकबा 0.63 हैक्ट0 भूमि में से रकबा 160 वर्गमीटर, ख0नं0 342 रकबा 0.63 हैक्ट0 भूमि में से रकबा 160 वर्गमीटर तथा ख0नं0 338 रकबा 2.42 हैक्टे भूमि में से रकबा 536 वर्गमीटर उत्तरी दिशा में एवं ख0नं0 336 रकबा 0.86 हैक्टे0 भूमि में से पश्चिमी दिशा की सीमा में से रकबा 288 वर्गमीटर कुल रकबा 1672 वर्गमीटर भूमि का गै0मु0रास्ता कायम किया जाता है। तहसीलदार आमेर

को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण के रकबे में से कम कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करें तथा गै0मु0 रास्ता की भूमि की कीमत वर्तमान डी.एल.सी. दर से गणना कर दोगुनी राशि प्रार्थीगण से प्राप्त करे एवं अप्रार्थीगण सं0 01 लगायत 15 तक को भुगतान करें। आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध करवाये तथा अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। आदेश सुनाया गया।

आज दिनांक **31.08.2022** को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।